न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्णगोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 5/2018 **दायर दिनांकः 08.10.2018**

सरकार व रामस्वरूप वगै0 बनाम मोतीबन चेला चन्दनबन गुसाई छजावा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 144 एवं 151 सी0पी0सी0

उपस्थिति :—
प्रार्थीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री लक्ष्मीचन्द्र गोतम।
अप्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री सुरेश कुमार शर्मा।

निर्णय दिनांक 16/03/2020

पत्रावली पेश हुई, प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 144 एवं 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम चरडाना तहसील अटरू में भूमि ख0नं0 3 रकबा 37 बीघा 5 बिस्वा ख0नं0 207 रकबा 11 बिस्वा ख0नं0 422 रकबा 13 बीघा 12 बिस्वा ख0नं0 423 रकबा 34 बीघा 8 बिस्वा, ख0नं0 424 रकबा 10 बीघा 3 बिस्वा कुल 5 किता रकबा 95 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी उक्त भूमि मोतीबन चेला चन्दनबन, रामकरण पुत्र भैरूबन, भीमा पुत्र नारायणबन, बद्रीलाल पुत्र बूचीलाल जाति गुसाई निवासी बगली के शामलाती खाते दर्ज थी जिसके बाद सेटलमेन्ट नये नं0 ख0नं0 3 रकबा 5.87 है0, ख0नं0 253 रकबा 0.06 है0, 531 का रकबा 1.87 है0 ख0नं0 528 का रकबा 1.88 है0 ख0नं0 529 का रकबा 0.86 है0, ख0नं0 530 रकबा 2.80 है0, ख0नं0 527 रकबा 1.46 है0 बनाये है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित भूमि में से सहखातेदार मोतीबन चेला चन्दनबन के खाते की भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने के कारण उसके विरूद्ध सीलिंग विचाराधीन था जिसमें उस ख0नं0 साबिक 423 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि भारमुक्त दे दी। जिसे सरकार द्वारा अवाप्ति हेतु दी गई, जो अधिग्रहण किया जाकर कल्याण पुत्र घांसी जाति कोली गणेशलाल पुत्र हरजीलाल जाति कोली छोटू पुत्र किशनलाल जाति कण्डारा जगन्नाथ पुत्र बृह्मानन्द माली को आवंटित कर दी। सहखातेदार मोतीबन द्वारा सीलिंग प्रकरण में ओप्शन में दी गई भूमि पर प्रार्थीगण के पिता बद्रीलाल के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त में थी प्रार्थीगण के पिता बद्रीलाल द्वारा इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय एस0डी0ओ0 छबडा में उज्रदारी प्रस्तुत की जो दिनांक 29.08.1984 को खारिज कर दी

गई, इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण के पिता बद्रीलाल ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के यहां अपील प्रस्तुत की थी जिन्होने प्रार्थीगण के पिता की अपील स्वीकार कर दिनांक 21.09.1984 को उपजिला कलेक्टर महोदय, छबड़ा को यह निर्देश प्रसारित किये कि सींलिंग प्रभावित भूमिधारी के भारमुक्त भूमि का विकल्प प्राप्त करें तथा उस भूमि को आवंटियों को आवंटित की जाकर अधिग्रहण की गई भूमि को निरस्त किया जाकर पुनः प्रार्थीगण के पिता बद्रीलाल के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये इस निर्णय के विरूद्ध सीलिंग प्रभावित खातेदार मोतीबन ने राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की थी। जिसका निर्णय दिनांक 18.07.1986 को हो चुका है। जिसमें सीलिंग प्रभावित खातेदार मोतीबन की निगरानी खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय को यथावत रखा। खातेदार मोतीबन ने राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय के विरूद्ध माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय में रिट पेश की थी। जिसका निर्णय दिनांक 04.01.1993 को हो चुका है। जिसमें सीलिंग प्रभावित खातेदार की रिट याचिका खारिज की जा चुकी है। प्रार्थीगण के पिता बद्रीलाल का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थीगण उसके वारिसान है। सीलिंग प्रभावित खातेदार मोतीबन का स्वर्गवास हो चुका है। रमेशचन्द्र दत्तक पुत्र मोतीबन का नाम उसके खाते दर्ज हो चुका है। प्रार्थीगण के पिता बद्रीलाल की ओर से प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय मे राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय की पालना में धारा 144 सी0पी0सी0 का एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04. 12.2007 को भूमि भारहीन होने से निर्णय की पालना किया जाना असम्भव होने के कारण निर्णय पारित कर दिया गया है। तथा भूमि भारमुक्त होने पर पुनः कार्यवाही शुरू की जावें, का आदेश पारित किया। माननीय न्यायालय द्वारा सम्बन्धित बैंक को भूमि को भारमुक्त किये जाने बाबत् कोई नोटिस जारी नही किया है तथा खातेदार रमेशचन्द दत्तक पुत्र मोतीबन जाति गुसाई निवासी बगली (छजावा) को भी नोटिस जारी नही किया है इसलिये प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, कोटा के निर्णय की पालना हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। ग्राम चरडाना में स्थित संयुक्त खाते की भूमि मुताबिक प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में खातेदारान में बंटवारा हो चुका है। सीलिंग प्रभावित रमेशचन्द दत्तक पुत्र मोतीबन के हिस्से में ख0नं0 2/705 रकबा 0.23 है0 ख0नं0 3 का रकबा 2.65 है0 भूमि कुल 2 किता रकबा 2.88 है0 भूमि खाते दर्ज हुई है। इस भूमि को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बारां को नोटिस जारी कर भूमि भारमुक्त

करवाकर अलोटी कल्याण पुत्र घांसी गणेशलाल पुत्र हरजीलाल, छोटूलला पुत्र किशनलाल, जगन्नाथ पुत्र बृह्मानन्द के खाते दर्ज की जावें तथा प्रार्थीगण के हिस्से एवं खाते की भूमि ख0नं0 529 रकबा 0.86 है0 भूमि 530 रकबा 2.80 है0 भूमि आवंटियों के खाते से निरस्त की जाकर प्रार्थीगण के खाते दर्ज की जावें। आवंटियों को आवंटित की गई भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। माननीय न्यायालय द्वारा कब्जे के सम्बन्ध मे पटवारी हल्का से एवं श्रीमान तहसीलदार साहब से रिपोर्ट मंगवाई गई थी जो सीलिंग पत्रावली में दिनांक 02.03.2004 की मौजूद रिपोर्ट से स्पष्ट है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि ग्राम चरडाना की खाता संख्या 25 की ख0नं0 529 की 0.86 है0 भूमि ख0नं0 530 की 2.80 है0 भूमि आवंटियों के खाते से प्रार्थीगण के खाते दर्ज की जावें तथा ग्राम चरडाना की खाता संख्या 155 की ख0नं0 2/705 रकबा 0.23 है0 ख0नं0 3 रकबा 2.65 है0 भूमि कुल दो किता रकबा 2.88 है0 भूमि आवंटियों के खाते दर्ज की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थी की तलबी की गई, अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 अस्वीकार है क्योंकि मोतीबन ने किस खसरा नं0 की कितनी भूमि अधिग्रहण हेतु दी है अंकित नही है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 का अंश आप्शन में दी गइ भूमि बद्रीलाल के कब्जे काश्त मे होना अस्वीकार है क्योंकि यह खाता संयुक्त खातेदारी में था और बंटवारा नही हुआ था अतः यह कहना असंगत है कि कौन कौन सी भूमि किसके कब्जे काश्त में थी। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 अस्वीकार है लेकिन मद में अंकित लाईन भारयुक्त होने पर पुनः कार्यवाही करने का आदेश दिया जाना अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 मे संयुक्त खाते का न्यायालय द्वारा बंटवारा किये जाने का कोई प्रमाण नही होने से मद नं0 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 का विवरण जमाबन्दी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थना प्रार्थीगण अस्वीकार है।

—::विशेष विवरण::—

ग्राम चरडाना की प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में अंकित भूमि वक्त सीलिंग प्रकरण संयुक्त खाते में थी और बंटवारा नही हुआ था अतः संयुक्त खाते में से ही सीलिंग हेतु भूमि दी गई है। प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय एस0डी0ओ0 साहब द्वारा पूर्व में खारिज किया

जा चुका है अतः पुनः प्रार्थना पत्र सुना जाना उचित नही है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की पालना में भारमुक्त भूमि सींलिंग में दिये जाने के आदेश दिये गये है। जबकि भूमि भारमुक्त है ही नही ऐसी स्थिति में भारहीन भूमि उपलब्ध कराना संभव नही है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

पटवारी से रिपोर्ट ली गई, पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश कर कथन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम चरडाना की ख0नं0 529 रकबा 0.86 है0 ख0नं0 530 रकबा 2.80 है0 कुल किता 2 रकबा 3.66 है0 में मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 में खाता संख्या 23 पर कल्याण पुत्र घांसी कोली गनेशलाल पुत्र ठाली कोली छोटूलाल पुत्र किशनलाल कंडारा जगन्नाथ पुत्र बृह्मानंद माली सा0देह खातेदार दर्ज है। खातेदारी की मृत्यु उपरान्त नामा0 नं0 407 दिनांक 05/08/2017 से जगन्नाथ के स्थान पर उसके वारिसान सुरजमल पुत्र घींसीबाई चन्द्रकला बाई रूकमणी बाई पुत्रियां बदरीबाई बेवा जगन्नाथ का क्र0सं0 नामा0नं0 410 दिनांक 08.09.2014 से मृतक कल्याण के स्थान पर उसके वारिसान नारायण सुरजमल पुत्र चमेली, जानकी गीताबाई पुत्रियां कल्याण हिस्सा 5/28 हिस्सा अनिल दिनेश दीपक पुत्र सुनिता बाई नीलू पुत्रियां चमेली बेवा राजेन्द्र हिस्सा 1/28 नरोत्तम पुत्र कुसुमलता पुत्री मांगी बाई ना0बा0 पुत्रियां पुरूषोत्तम रामप्यारी बेवा पुरूषोत्तम हिस्सा 1/112 हिस्सा बरा से एवं ना0बा0 411 दिनांक 07.10.2014 से मृतक गणेशलाल के स्थान पर उसके वारिसान देवीलाल रघुनाथ मूलचन्द्र पुत्र सुन्दर बाई बेवा गणेशलाल का नाम खाता दर्ज किया जा चुका है।

उपरोक्त आराजी पर मौके पर कब्जा काश्त रामस्वरूप दुर्गाशंकर पुरणमल नोतमल पुत्र द्रोपति बाई पुत्री तुलसाबाई बेवा बद्रीलाल जाति गुसाई निवासी बगली का है। रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित रहने के कारण एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया गया अभिभाषक प्रार्थी को सुना न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दर्ज रजि0 किया गया अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन एवं अखबार साया के माध्यम से की गई, बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई, अप्रार्थीगण के वारिसान के नाम भूमि की रिपोर्ट तहसीलदार अटरू से चाही गई, तहसीलदार

अटरू द्वारा पत्र क्रमांक 1530 दिनांक 12.07.2019 से अप्रार्थी के वारिसान के खाते दर्ज भूमि ग्राम चरडाना छजावा की भूमि की नकल जमाबन्दी पेश की जाकर शा0 फा0 की गई,

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया गया किः–

माननीय उच्च न्यायालय ने अपर न्यायालय राजस्व मण्डल का निर्णय बहाल रखा है। आदेश अनुसार राजस्व (मण्डल) मेरी जमीन भारमुक्त की जाकर तथा अप्रार्थी व उसके वारिसान की भूमि अधिग्रहण की जावें इस प्रकरण में अप्रार्थी ने माननीय न्यायालय को यह लिख कर दे दिया जो प्रत्रावली में उपलब्ध है क्योंकि अधिग्रहित भूमि आवंटन की जा चुकी है लेकिन आज तक आवंटियों का कब्जा मौके पर नही है जमीन बदस्तूर मेरे ही कब्जे काश्त में है। न तो सरकार मुझे अतिक्रमी मान रही है और ना ही अलोटी मुझे बेदखल करना चाहते है आवंटी भी गांव में निवास नही करते है। और उनका कोई पता नही है सरकार द्वारा पक्षकारान आवंटियों ने मेरे खिलाफ धारा 91 तथा 183 में किसी भी पक्षकार ने कोई कार्यवाही नही की और में बदस्तूर कब्जा काश्त करता चला आ रहा हूॅ। अप्रार्थी से भूमि अवाप्त करना तहसीलदार का कार्य है इसलिये कार्यवाही तहसीलदार द्वारा की जानी चाहिये तथा मेरी भूमि भारमुक्त की जावें, तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के अपील निर्णय दिनांक 18.07.1986 एवं हाई कोर्ट की सिविल रिट पिटीशन नं0 1676/1986 दिनांक 04.01.1993 की पालना में पुनः दर्ज हुआ। यह कि प्रतिवादी मोतीबन चेला चन्दनबन जाति गुसाई निवासी छजावा की सीलिंग प्रकरण के अन्तर्गत आराजी ख0नं0 423 रकबा 23 बीघा 18 बिस्वा भूमि सीलिंग अधिग्रहण की जाकर आवंटियों को आवंटित की जा चुकी है। खातेदार मोतीबन का शामलाती खाता था जिसमें मोतीबन का हिस्सा 1/4 निहित था भूमि का बंटवारा नही हुआ सभी सहखातेदार अपनी आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से पर काबिज थे वह सहखातेदार बद्रीलाल जो भूमि अधिग्रहण हेतु मोतीबन द्वारा समर्पित करदी गई है, उक्त भूमि सहखातेदार बद्रीलाल पुत्र बूचीलाल गुसाई निवासी बगली के कब्जे काश्त की थी उस भूमि पर मोतीबन का कभी कब्जा नही रहा उसने अन्य खातेदारों की कब्जेकाश्त की भूमि अवाप्त हेतु दी गई थी जो उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा अधिग्रहण की जाकर आवंटियों को आवंटित कर दी जिसके कारण सहखातेदारान की कब्जा काश्त की भूमि प्रभावित होने से बद्रीलाल द्वारा माननीय आर0ए0ए0

कोटा में अपील पेश की गई माननीय न्यायालय आर0ए0ए0 कोटा ने निर्णय दिनांक 21.09.1985 में उक्त अधिग्रहित भूमि को भाममुक्त नही मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय छबडा का निर्णय निरस्त कर दिया एवं रेस्पोडेंट की भारमुक्त भूमि पुनः ऑप्सन हेतु दिये जाने के आदेश दिये गये है। जिसकी अपील निगरानी अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में की गई जहां से निगरानी अपील निर्णय दिनांक 18.07.1986 से माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी खारिज की गई, निगरानी खारिज कर आर0ए0ए0 कोटा का निर्णय बहाल रखा तथा अधीनस्थ न्यायालय छबडा को निर्देश दिये गये कि आवंटित भूमि को अवाप्ति से मुक्त किये जाने से यदि आवंटियों का हित प्रभावित हो तो आवंटियों को नयी भूमि आवंटन होने तक इस भूमि से बेदखल नही किया जावें। माननीय उच्च न्यायालय ने सिविल रिट पिटीशन खारिज कर माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय को बहाल रखा गया।

अप्रार्थी मोतीबन फोत हो चुका है उसका वारिस रमेश चेला मोतीबन का नाम खाते में दर्ज हुआ है। कालान्तर में रमेश भी मर चुका है। मृत्यु से पूर्व अपने खाते की शेष बची भूमि अप्रार्थी रमेश ने पृथक पृथक वारिसान के नाम दर्ज करा दी गई है।

प्रार्थी बद्रीलाल पुत्र बूचीलाल फोत हो चुके है जिसके पुत्रान श्री रामस्वरूप, दुर्गाशंकर, पूरणमल, नोतमल, द्रोपति बाई, तुलसी बाई बेवा बद्रीलाल वगै0 काबिज है। अधिग्रहण के बाद आज तक आवंटित भूमि पर आवंटियों का कब्जा नही रहा प्रार्थी बद्रीलाल व उसके वारिसान कब्जे काश्त मे रही है। राज्य सरकार द्वारा ना तो कभी आवंटियों को कब्जा सम्भलाया और ना ही आवंटियों द्वारा धारा 183 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई अपर न्यायालय द्वारा प्रार्थी व उसके वारिसान का कब्जा माना गया है।

अप्रार्थी रमेश चेला मोतीबन द्वारा इस प्रकरण से बचने के लिए अपने खाते की शेष बची भूमि अपने वारिसान को पृथक पृथक खाते दर्ज करवा दी गयी है। परन्तु अखबार में साया करवाने के बाद भी कोई आपत्ति या उजदारी पेश नही की। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर व माननीय हाई कोर्ट के निर्णयों की अनुपालना में तल्कालीन तहसीलदारों द्वारा अप्रार्थी की पूर्व में अवाप्त भूमि सिलिंग से मुक्त कर शेष भारमुक्त भूमि अवाप्त की जानी चाहिये थी जो नही की।

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर अवधि जर्ये निगरानी निर्णय दिनांक 18.07.1986 की अनुपालना में पूर्व में अवाप्त भूमि सिलिंग से मुक्त की जाकर प्रार्थी बद्रीलाल व उसके वारिसान के खाते दर्ज रहने के आदेश दिये जाते है। इसकी एवजी में अप्रार्थी रमेश व उसके वारिसान के नाम दर्ज ग्राम चरडाना की आराजी पुनः सिलिंग अधिग्रहण कर खाता सरकार दर्ज हो। क्योंकि आवंटी उक्त भूमि पर पूर्व में कभी काबिज नही रहे अतः आवंटियों को हित प्रभावित किये बिना नवीन रूप से अधिग्रहित सिंलिंग भूमि को आवंटियो को आवंटन करवाने हेतु वक्त मीटिंग व कैम्प आवंटन कमेटी के समक्ष आवंटन प्रस्ताव प्रस्तुत कर पुनः आवंटन कराये जाने के आदेश किये जाते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

—:क्रियात्मक आदेशः—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया किया जाता है विवादित आराजी ग्राम चरडाना की ख0सं0 23 ख0नं0 529 रकबा 0.86 है0 ख0नं0 530 रकबा 2.80 है0, आवंटियो का आवंटन निरस्त कर प्रार्थीगण रामस्वरूप, दुर्गाशंकर, पूरणमल, नोथमल, द्रोपति बाई, तुलसा बाई बेवा बद्रीलाल जाति गुसाई निवासीगण बगली के खाते दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.02 13:00:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: